

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 261/2012

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राजस्थान)

1. सुखदेवसिंह खिड़िया पुत्र अर्जुनसिंह
खिड़िया जाति-चारण
निवारी-कांचलिया कलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955

तारीख रज्.: 29.11.2012

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 15/07/2015

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने राजस्व वाद बाबत बेदखली पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में ख.नं. 964/8 रकबा 0-06 बीघा किस्म बा०दो० लगान 0.09 रुपये प्रतिवर्ष की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 371 वर्ग मीटर किस्म बा०दो० पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टावर के उपयोग में किया जा रहा है और भूमि को कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में ख.नं. 964/8 रकबा 0-06 बीघा किस्म बा०दो० लगान 0.09 रुपये आई हुई हैं, जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 21/11/2012 को प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध यह वाद-पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।


इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति० को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते ज०दा० तलब किया गया। प्रतिवादी ने मौजा-लाम्बिया में खसरा नम्बर 964/8 रकबा 0-06 बीघा में मोबाईल टावर लगाने का संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/1214 दिनांक 25/09/2013 को पेश किया, जो सामिल मिसल हैं। प्रतिवादी ने कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ आदेश लेने से कार्यवाही आगे करना उचित नहीं समझते हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लाम्बिया में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने मौजा-लाम्बिया में खसरा नम्बर 964/8 रकबा 0-06 बीघा में मोबाईल टावर लगाने का संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/1214 दिनांक 25/09/2013 को पेश किया, जो सामिल मिसल किया हैं। लिहाजा वादी का वाद बाबत बेदखली का खारिज किया जाना उचित समझते हैं।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

-:आदेश:-

अतः प्रतिवादी ने मौजा-लाम्बिया में खसरा नम्बर 964/8 रकबा 0-06 बीघा में मोबाईल टावर लगाने का संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/1214 दिनांक 25/09/2013 को पेश किया है। लिहाजा वादी का वाद बाबत बेदखली का खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 15/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लाम्बिया पर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

डिक्की बमुकदमें इत्दादाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाया दीयानी)

अज अदालत
बईजलास

:- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
:- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राजस्थान)

1. सुखदेवरिंह खिड़िया पुत्र अर्जुनरिंह
खिड़िया जाति-चारण
गिवासी-कांवलिया कलां
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत बेदखली अन्तर्गत


मु0न0 :रा0या0 स0: 261/2012


धारा 177 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि प्रतिवादी ने मौजा-लाम्बिया में खसरा नम्बर 964/8 रकबा 0-06 बीघा में मोबाईल टावर लगाने का संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/1214 दिनांक 25/09/2013 को पेश किया हैं। लिहाजा वादी का वाद बाबत बेदखली का खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/07/2015 को जारी किया गया ।




 उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
 जिला (पाली)

	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुकमनामा		
बाबत ईजराय हुकमनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्की के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।